प्रेस विज्ञप्ति

09/10/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जालंधर ने 40.92 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 05.10.2024 को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तारा हेल्थ फूड लिमिटेड के निदेशक बलवंत सिंह को चार दिनों की हिरासत में लिया है। ईडी ने इस संबंध में ईडी द्वारा दायर याचिका पर माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में आरोपी को हिरासत में लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी, सीबीआई, चंडीगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ऋण की रकम को कई फर्जी कंपनियों में डायवर्ट किया गया था। इसके बाद ऋण की रकम को डायवर्ट करके तारा हेल्थ फूड लिमिटेड (मेसर्स टीएचएफएल) और मेसर्स तारा सेल्स लिमिटेड नाम की एक अन्य सहयोगी कंपनी में मिला दिया गया। तारा हेल्थ फूड लिमिटेड में प्राप्त राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया गया था जिनके लिए ऋण लिया गया था। 3.12 करोड़ रुपये की राशि को एक अन्य निदेशक जसवंत सिंह के व्यक्तिगत खातों में और 33.99 करोड़ रुपये मेसर्स टीएचएफएल को भेज दिए गए।

ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि बलवंत सिंह पूरे बैंक धोखाधड़ी में मुख्य साजिशकर्ता है और उसने फर्जी संस्थाओं के जाल के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट किया है, जिससे अपराध की आय को स्तरीकृत और शोधित किया गया है।

इससे पहले ईडी ने 08.09.2022 को जसवंत सिंह और उनके सहयोगियों के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराधिक सबूत बरामद किए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को इस मामले में 06.11.2023 को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच जारी है।